



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15961

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या- 643/2026

योगेन्द्र कुमार, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उ0प्र0 राज्य एवं 5 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : आदर्श कुमार, दीपंकर चौधरी

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपंकर चौधरी और राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री पी.के. श्रीवास्तव को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि वह वर्तमान में राजस्व अधिकारी के रूप में तैनात है, जबकि रिट याचिकाकर्ता 11.09.2025 को राजस्व अधिकारी के रूप में तैनात था, जिला मजिस्ट्रेट, महाराजगंज द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसमें जांच के विचार में रिट याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया।
3. निलंबन आदेश पर सवाल उठाते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
4. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने की मांग की है कि निलंबन आदेश को एक पल के लिए भी कायम नहीं रखा जा सकता है, खासकर जब रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है या यहां तक कि सबूत का रती भर भी नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता ने कदाचार किया है। निवेदन यह है कि हालांकि निलंबन आदेश में, यह दोहराया गया है कि रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ, एक शिकायत को प्राथमिकता दी गई थी और रिट याचिकाकर्ता एक राजस्व निरीक्षक के रूप में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आधिकारिक कार्य करने के लिए उस संबंध में अवैध रिश्वत की मांग करता था और धमकी देता था और यहां तक कि उसके काम और आचरण के परिणामस्वरूप निलंबन भी हुआ है। डिप्टी कलेक्टर की दिनांक 06.09.2025 की एक रिपोर्ट है जिसे रिट याचिकाकर्ता को निलंबित करने का आधार बनाया गया है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि भले ही आरोपों को अंकित मूल्य में लिया जाए, तो यह मामूली दंड का प्रकरण होगा, न कि बड़े दंड का।

5. श्री पी.के. श्रीवास्तव, विद्वान एसीएससी ने प्रस्तुत किया कि 24.11.2025 को पहले ही आरोप पत्र जारी किया जा चुका है और रिट याचिकाकर्ता ने 06.01.2026 को अपना जवाब दे दिया है, इस प्रकार, यह रिट याचिकाकर्ता पर है कि वह कार्यवाही का विरोध करे।

6. मैंने बार में किए गए सबमिशन को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

7. रिट याचिकाकर्ता एक सरकारी कर्मचारी होता है, उसकी सेवाएं उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम, 1999 के नियम और नामकरण द्वारा विनियमित होती हैं। रिट याचिकाकर्ता का यह भी प्रकरण नहीं है कि एक प्राधिकरण जिसने रिट याचिका को निलंबित कर दिया है, वह सक्षम प्राधिकारी नहीं है। जहां तक रिट याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति का संबंध है कि रिट याचिकाकर्ता ने कोई कदाचार नहीं किया है, इस न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है जो जांच का विषय हैं और अनुशासनात्मक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र को इस न्यायालय द्वारा हड़पना नहीं जा सकता है।

प्रथम दृष्टया, आरोप रिट याचिकाकर्ता को निलंबन के तहत रखने में प्रत्यर्थागण का समर्थन करते हैं जब उस संबंध में अवैध संतुष्टि की शिकायत होती है।

8. तदनुसार, हस्तक्षेप अस्वीकार कर दिया जाता है, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट, महाराजगंज द्वारा पारित दिनांक 11.09.2025 के निलंबन आदेश को बरकरार रखा गया है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर जांच कार्यवाही का संचालन और समापन करेगा। रिट याचिकाकर्ता जांच की कार्यवाही में भाग लेगा और उसे नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जाएगा।

22 जनवरी, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!